

बिहार में कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद दलित बाल श्रम की निरंतरता के सामाजिक और संस्थागत कारणों की पड़ताल

संजय कुमार झा

पूर्व शोधार्थी

समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

सारांश

बिहार में शिक्षा, पोषण, खाद्य-सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और बाल संरक्षण से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों का दायरा बढ़ने के बावजूद दलित समुदायों में बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन नहीं हो पाना एक "डिलीवरी-न्याय" अंतराल की ओर संकेत करता है। यह शोध-पत्र तर्क देता है कि दलित बाल श्रम केवल घरेलू आय-अभाव का परिणाम नहीं, बल्कि जाति-आधारित श्रम-बाजार संरचना, सामाजिक बहिष्करण, विद्यालयी अनुभव (भेदभाव/अपमान/कमजोर सीखने के परिणाम), प्रवासन-आधारित अस्थिर आजीविका, और राज्य-तंत्र की संस्थागत सीमाएँ, इन सबकी संयुक्त प्रक्रिया है। अधिकार-आधारित कानून (बाल एवं किशोर श्रम निषेध, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा) औपचारिक रूप से सुरक्षात्मक ढाँचा बनाते हैं, पर असंगठित अर्थव्यवस्था, स्थानीय शक्ति-संबंध, और समन्वय/निगरानी की कमी से निषेध, बचाव, पुनर्वास और "मुख्यधारा में वापसी" अक्सर टिकाऊ नहीं बन पाती। यूनिसेफ इनोसेंटी की भारत/बिहार-केंद्रित सामग्री और NCPCR जैसे निकायों के अध्ययन यह दिखाते हैं कि बाल श्रम और स्कूलिंग का संबंध द्विदिश है: स्कूल छोड़ना बाल श्रम बढ़ा सकता है और बाल श्रम स्कूलिंग को बाधित कर सकता है। इस पेपर में सामाजिक कारणों (जाति-आधारित पेशागत जाल, शिक्षा में बहिष्करण, सामाजिक पूँजी/नेटवर्क की कमी, संकट-समय जोखिम प्रबंधन) और संस्थागत कारणों (लाभार्थी पहचान/टार्गेटिंग त्रुटियाँ, दस्तावेज़-आधारित बाधाएँ, कमजोर प्रवर्तन, विभागीय समन्वय-अभाव, पुनर्वास के बाद फॉलो-अप की कमी) को एकीकृत समाजशास्त्रीय व्याख्या में प्रस्तुत किया गया है तथा बिहार के लिए नीति-सुधार के ठोस बिंदु प्रस्तावित किए गए हैं।

कीवर्ड्स: दलित, बाल श्रम, बिहार, कल्याणकारी योजनाएँ, सामाजिक बहिष्करण, संस्थागत क्षमता, विद्यालयी भेदभाव, पुनर्वास

1. परिचय

भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कानून, नीति और कार्यक्रम, तीनों स्तरों पर हस्तक्षेप मौजूद हैं। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम बच्चों के रोजगार को व्यापक रूप से प्रतिबंधित करता है और किशोरों के लिए खतरनाक कार्यों पर रोक लगाता है [1]। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6-14 आयु वर्ग के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार स्थापित करता है [2]। खाद्य सुरक्षा कानून और स्कूल-भोजन कार्यक्रम (PM POSHAN) शिक्षा-पोषण-उपस्थिति के बीच संबंध को नीति के केंद्र में रखते हैं [6], [7]। ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के लिए

मनरेगा कानूनी रोजगार-गारंटी का तंत्र देता है [8]। सिद्धांततः, यह पूरा नीति-पैकेज बाल श्रम के आर्थिक और सामाजिक कारणों को कम करके बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में सहायक होना चाहिए।

फिर भी व्यवहार में, विशेषकर दलित समुदायों के संदर्भ में, “योजनाएँ हैं, पर बाल श्रम क्यों टिकता है?” यह प्रश्न बिहार जैसे राज्य में अधिक तीखा हो जाता है, जहाँ बच्चों की आबादी का अनुपात बड़ा है और गरीबी/अस्थिर आजीविका/प्रवासन जैसी संरचनात्मक स्थितियाँ व्यापक हैं [9]। इसके अतिरिक्त, दलित समुदायों में ऐतिहासिक रूप से भूमि-हीनता, असंगठित श्रम, सामाजिक कलंक और संस्थागत दूरी के कारण कल्याण तक पहुँच की प्रक्रिया अक्सर असमान रहती है। इस संदर्भ में बाल श्रम को केवल “परिवार-स्तरीय निर्णय” मानना समाजशास्त्रीय रूप से अपर्याप्त है; यह सामाजिक संस्थाओं (स्कूल, श्रम बाजार, पंचायत, प्रशासन, बाल संरक्षण तंत्र) और शक्ति-संबंधों के भीतर बनता-टूटता-फिर बनता है।

इस शोध-पत्र का केंद्रीय तर्क यह है कि कल्याणकारी योजनाओं की मौजूदगी के बावजूद दलित बाल श्रम की निरंतरता तब समझ में आती है जब हम “सामाजिक बहिष्करण” और “संस्थागत क्षमता” को एक साथ देखें। एक ओर दलित परिवारों के बच्चों की शिक्षा-यात्रा में सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता की कमी स्कूलिंग को कमजोर करती है; दूसरी ओर, योजनाओं/कानूनों का क्रियान्वयन प्रवर्तन, समन्वय, डेटा-टैकिंग और फॉलो-अप की सीमाओं से बाधित रहता है। यूनिसेफ इनोसेंटी की भारत-केंद्रित रिपोर्टें इस बात को रेखांकित करती हैं कि बाल श्रम और स्कूलिंग के बीच संबंध जटिल और परस्पर-निर्भर है, तथा शिक्षा-तंत्र की रणनीतियाँ बाल श्रम घटाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं [3], [5]।

2. नीति-परिदृश्य

बाल श्रम पर कानूनी निषेध [1] एक आवश्यक आधार है, लेकिन निषेध तभी प्रभावी होता है जब बच्चों के काम पर जाने के संरचनात्मक दबाव कम हों और उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर वास्तविक दंड-भय बन सके। असंगठित अर्थव्यवस्था में बाल श्रम अक्सर घरेलू, कृषि-सहायक, छोटे प्रतिष्ठान, सप्लाइ-चेन के छिपे हिस्सों, और मौसमी मजदूरी में फैला होता है—जहाँ निरीक्षण/प्रमाण/कार्रवाई की लागत अधिक होती है। इसलिए कानून का प्रभाव “कागज़ पर सार्वभौमिक” होते हुए भी व्यवहार में असमान हो सकता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम [2] विद्यालय तक पहुँच और नामांकन सुनिश्चित करने का वादा करता है, लेकिन “स्कूल में बने रहना” और “सीखना” ऐसे परिणाम हैं जो स्कूल की सामाजिक संस्कृति, शिक्षक-व्यवहार, संसाधन-समर्थन और समुदाय-सम्बंधों पर निर्भर रहते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून [6] और PM POSHAN दिशा-निर्देश [7] स्कूल को पोषण-आकर्षण और सामाजिक सुरक्षा के मंच के रूप में देखते हैं; पर भोजन की गुणवत्ता, नियमितता, स्थानीय निगरानी और जवाबदेही कमजोर होने पर यह आकर्षण टिकाऊ नहीं रहता।

मनरेगा [8] का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को संकट-समय में आय-समर्थन देना है ताकि बच्चों पर काम का दबाव घट सके; पर यदि काम की उपलब्धता, मांग-आधारित जॉब-प्रोविजन और भुगतान-समय में बाधाएँ हों, तो मनरेगा “सैद्धांतिक सुरक्षा-जाल” बनकर रह सकता है। नतीजा

यह कि बाल श्रम रोकने की नीति-श्रृंखला का प्रत्येक लिंक मजबूत होना आवश्यक है; किसी एक लिंक की कमजोरी पूरे ढाँचे को अस्थिर बना देती है।

3. साहित्य समीक्षा

ILO का विश्लेषण यह संकेत देता है कि बाल श्रम में कमी केवल प्रतिबंध से नहीं, बल्कि स्थिर आर्थिक वृद्धि, श्रम मानकों के पालन, सार्वभौमिक शिक्षा और सामाजिक संरक्षण के साथ जुड़कर आती है [10]। इसी दिशा में यूनिसेफ इनोसेंटी की 2024 की रिपोर्ट भारत में स्कूलिंग और बाल श्रम के परस्पर संबंधों को व्यवस्थित रूप से सामने लाती है और बताती है कि शिक्षा रणनीतियाँ बाल श्रम घटाने का प्रमुख उपकरण हो सकती हैं [3]। इसी श्रृंखला में यूनिसेफ इनोसेंटी की "एजुकेशन स्ट्रेटेजीज..." रिपोर्ट स्कूल-स्तरीय हस्तक्षेपों, जोखिम-समूह पहचान और शिक्षा-प्रणाली में सुधार की भूमिका पर जोर देती है [5]।

बाल श्रम के "सबसे खराब रूपों" पर अमेरिकी श्रम विभाग की रिपोर्ट भारत में श्रम-क्षेत्रों, जोखिम, और प्रवर्तन-तंत्र की सामान्य चुनौतियों को रेखांकित करती है; यह बताती है कि असंगठित क्षेत्रों में निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन रहता है [11]।

भारत में बाल श्रम उन्मूलन के लिए पुनर्वास-केंद्रित दृष्टि (NCLP) का उद्देश्य बच्चों को काम से हटाकर विशेष प्रशिक्षण और फिर मुख्यधारा शिक्षा में जोड़ना रहा है। NCPCR का अध्ययन NCLP की प्रभावशीलता और मुख्यधारा में बच्चों के स्थायी समावेशन की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, विशेषकर निगरानी, फॉलो-अप, और क्रियान्वयन-गुणवत्ता के संदर्भ में [12]। इन निष्कर्षों से यह संकेत मिलता है कि बचाव और मुख्यधारा में जोड़ना "अंतिम कदम" नहीं, बल्कि दीर्घकालिक केस-मैनेजमेंट की शुरुआत होना चाहिए।

4. वैचारिक ढाँचा

इस पेपर में दो अवधारणात्मक लेंस जोड़े गए हैं। पहला, सामाजिक बहिष्करण: दलित बच्चों के लिए स्कूल, सार्वजनिक सेवाएँ और श्रम बाजार केवल "सेवा-स्थल" नहीं, बल्कि सम्मान, भागीदारी और पहचान के सामाजिक क्षेत्र हैं। जब इन क्षेत्रों में भेदभाव/अपमान/सामाजिक दूरी का अनुभव होता है, तब शिक्षा की उपयोगिता और सुरक्षा का बोध कमजोर पड़ता है, जिससे बाल श्रम के प्रति प्रतिरोध घट सकता है।

दूसरा, संस्थागत क्षमता: कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव उसके क्रियान्वयन पर निर्भर है, लाभार्थी पहचान, दस्तावेज़-निर्भरता, निगरानी, शिकायत-निवारण, विभागीय समन्वय, और परिणाम-आधारित ट्रैकिंग। बाल श्रम के संदर्भ में यह क्षमता इसलिए और निर्णायक है क्योंकि मामला बहु-विभागीय है: श्रम, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायत/स्थानीय प्रशासन और पुलिस/न्याय प्रणाली के बीच सामूहिक कार्रवाई आवश्यक होती है। NCLP दिशानिर्देश [13] और NCPCR अध्ययन [12] इसी "समन्वय-ट्रैकिंग" की जरूरत को अप्रत्यक्ष रूप से पुष्ट करते हैं।

5. पद्धति और डेटा: द्वितीयक साक्ष्य-आधारित समाजशास्त्रीय विश्लेषण

यह अध्ययन प्राथमिक फील्ड-सर्वे का दावा नहीं करता; यह उपलब्ध प्रामाणिक द्वितीयक स्रोतों के आधार पर बिहार में दलित बाल श्रम की निरंतरता के सामाजिक और संस्थागत कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मुख्य स्रोत-समूह हैं: (i) कानूनी दस्तावेज़, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम [1], RTE [2], NFSA [6], मनरेगा [8]; (ii) नीति/योजना दिशा-निर्देश, PM POSHAN [7], NCLP दिशानिर्देश [13]; (iii) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें—ILO [10], यूनिसेफ इनोसेंटी [3], [5], U.S. DOL [11]; (iv) भारतीय संस्थागत अध्ययन, NCPCR [12]। बिहार में दलित/महादलित बच्चों के लिए पोशाक/प्रोत्साहन जैसी राज्य-स्तरीय पहल के दस्तावेज़ को भी संदर्भ में लिया गया है ताकि "शिक्षा-आकर्षण" और "सामाजिक गरिमा" के नीति-तर्क को समझा जा सके [14]।

6. निष्कर्ष-1: सामाजिक कारण—क्यों दलित बच्चे काम के चक्र में फँसते रहते हैं

दलित बाल श्रम की निरंतरता का पहला सामाजिक कारण जाति-आधारित श्रम-विभाजन और पीढ़ीगत पेशागत जाल है। कई दलित परिवारों के लिए काम के अवसर पहले से ही सामाजिक नेटवर्क और स्थानीय शक्ति-संबंधों के माध्यम से तय होते हैं। बच्चे का काम पर जाना कई बार "परिवार-उत्पादन इकाई" की तर्कसंगतता बन जाता है, जैसे कृषि-सहायक कार्य, ईंट-भट्टा/निर्माण श्रम, छोटे कारोबार में मदद, या घरेलू सेवा जहाँ बच्चे की मजदूरी नगण्य या अदृश्य हो सकती है, पर परिवार की कार्य-क्षमता बढ़ाती है। यह केवल आय-पूर्ति नहीं, बल्कि सामाजिक अपेक्षा का भी परिणाम है: समुदाय में "काम सीखने" को उपयोगी माना जाता है, जबकि शिक्षा को अनिश्चित रिटर्न वाली गतिविधि माना जा सकता है, खासकर तब जब स्कूलिंग का अनुभव अपमानजनक हो।

दूसरा कारण विद्यालयी अनुभव और सम्मान/अपमान का समाजशास्त्र है। RTE [2] नामांकन सुनिश्चित कर सकता है, पर दलित बच्चे के लिए स्कूल में बने रहना तब कठिन होता है जब स्कूल उसे समानता और गरिमा का स्थान नहीं दे पाता। नीति-स्तर पर बिहार के महादलित पोशाक कार्यक्रम जैसे दस्तावेज़ स्वयं स्वीकार करते हैं कि पोशाक के अभाव में बच्चों में हीन-भावना और भेदभाव की आशंका होती है और प्रोत्साहन का उद्देश्य स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है [14]। यह संकेत देता है कि स्कूलिंग केवल "शैक्षिक" नहीं, गहरे सामाजिक अनुभवों से संचालित होती है। यदि बच्चा बार-बार अपमान/उपेक्षा का सामना करता है या सीखने के परिणाम कमजोर रहते हैं, तो "स्कूल छोड़ना" परिवार के लिए कम हानिकारक विकल्प लग सकता है और काम पर लौटना संभव हो जाता है। यूनिसेफ इनोसेंटी की रिपोर्टें स्कूलिंग-बाल श्रम संबंध को इसी संदर्भ में रखती हैं कि शिक्षा की रणनीतियाँ बाल श्रम घटाने में प्रभावी हो सकती हैं, पर वे तभी सफल होंगी जब स्कूलिंग वास्तविक अवसर दे [3], [5]।

तीसरा सामाजिक कारण आजीविका-अस्थिरता और संकट-समय जोखिम प्रबंधन है। बिहार जैसे संदर्भ में प्रवासन, मौसमी बेरोजगारी, बीमारी/स्वास्थ्य-खर्च, सामाजिक समारोहों की लागत, और ऋण-चक्र जैसी घटनाएँ परिवार को त्वरित नकद-आवश्यकता में धकेलती हैं। ऐसे समय में बच्चे का काम करना परिवार की "आपात रणनीति" बन जाता है। मनरेगा जैसे अधिकार-

आधारित आय-समर्थन [8] का उद्देश्य ऐसे संकटों में राहत देना है, पर अगर कार्य-उपलब्धता या भुगतान-समय में बाधाएँ हों तो परिवार बच्चे की मजदूरी पर निर्भर रह सकता है।

चौथा सामाजिक कारण सामाजिक पूँजी और सूचना-असमानता है। कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान, दस्तावेज़ीकरण, बैंकिंग/डिजिटल पहुँच, और स्थानीय कार्यालयों से संवाद आवश्यक होता है। दलित/अति-गरीब परिवारों में यह क्षमता अक्सर कमजोर होती है। परिणाम यह कि योजनाएँ “सार्वभौमिक” होने पर भी, लाभ उठाने की प्रभावी क्षमता असमान रहती है। इस असमानता का सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि परिवार अपनी सामाजिक सुरक्षा की जगह बच्चों के श्रम को “विश्वसनीय संसाधन” मानने लगता है।

7. निष्कर्ष-II: संस्थागत कारण—क्यों कल्याणकारी तंत्र बाल श्रम को निर्णायक रूप से नहीं तोड़ पाता

पहला संस्थागत कारण टारगेटिंग, दस्तावेज़-निर्भरता और पहुँच-घाटा है। कई कल्याणकारी लाभ, खाद्य, पोषण, प्रोत्साहन, आय-समर्थन पहचान-पत्र, सूचीकरण, बैंक खाते, और रिकॉर्ड-मैचिंग पर निर्भर रहते हैं। प्रवासन और अस्थायी निवास के संदर्भ में यह निर्भरता बढ़े हुए बहिष्करण का कारण बन सकती है। स्कूल-आधारित योजनाएँ भी तब कमजोर पड़ती हैं जब बच्चे का नामांकन अनियमित हो या परिवार का स्थानांतरण बार-बार हो।

दूसरा संस्थागत कारण विभागीय समन्वय-अभाव और केस-ट्रैकिंग की कमी है। बाल श्रम की पहचान, बचाव, पुनर्वास और स्कूल-रीइंटीग्रेशन के लिए श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, बाल संरक्षण संस्थाएँ और स्थानीय प्रशासन का संयुक्त काम आवश्यक है। NCPCR का NCLP पर अध्ययन यह दर्शाता है कि मुख्यधारा शिक्षा में स्थायी समावेशन और फॉलो-अप के स्तर पर कई चुनौतियाँ बनी रहती हैं [12]। यदि बचाव के बाद स्कूल में वापसी तो हो, पर 6-24 महीनों तक परिवार की आजीविका और स्कूल-उपस्थिति पर निगरानी न हो, तो बच्चा फिर काम में लौट सकता है।

तीसरा कारण प्रवर्तन की सीमाएँ हैं। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम [1] कानूनी निषेध देता है, पर असंगठित अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म और छिपे कार्य-क्षेत्रों में निरीक्षण कठिन होता है। अमेरिकी श्रम विभाग की रिपोर्ट जैसे स्रोत भारत के संदर्भ में यह बतलाते हैं कि प्रवर्तन-क्षमता, निरीक्षण की आवृत्ति, और आपूर्ति-श्रृंखला में छिपे श्रम की पहचान जैसी समस्याएँ बनी रहती हैं [11]। बिहार में स्थानीय स्तर पर यदि नियोक्ताओं/ठेकेदारों का प्रभाव अधिक हो और प्रशासनिक निगरानी कमजोर हो, तो कानून का डिटेरेन्स घट जाता है।

चौथा कारण स्कूलिंग-गुणवत्ता और सेवा-डिलीवरी की असमानता है। PM POSHAN दिशानिर्देशों में अनाज/गुणवत्ता/भंडारण/स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारियों का विस्तृत उल्लेख है [7], जो बताता है कि डिलीवरी-चेन जटिल है। जब डिलीवरी कमजोर होती है, स्कूल बच्चों के लिए “सुरक्षा+पोषण+सीखने” का भरोसेमंद मंच नहीं बन पाता। इसका असर विशेषकर उन बच्चों पर पड़ता है जिनके लिए स्कूल ही सामाजिक सुरक्षा का सबसे प्रत्यक्ष स्थल होता है।

8. बिहार-विशिष्ट कल्याण पहलें और उनके "सामाजिक अर्थ"

बिहार में महादलित/दलित बच्चों के लिए पोशाक/प्रोत्साहन जैसी योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि स्कूल में भेदभाव/हीन-भावना को घटाकर उपस्थिति बढ़ाना भी है, यह बात स्वयं योजना-दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है [14]। इसी तरह आंगनवाड़ी/प्री-प्राइमरी पोशाक योजना के दस्तावेज़ यह संकेत देते हैं कि प्रारंभिक बचपन में भी "पोशाक/सम्मान/उपस्थिति" को नीति ने महत्वपूर्ण माना है [15]। इसका समाजशास्त्रीय निहितार्थ यह है कि राज्य स्वयं मानता है कि शिक्षा का निर्णय सामाजिक मनोविज्ञान और समुदाय-स्तरीय प्रतिष्ठा/अपमान के अनुभवों से प्रभावित होता है।

पर समस्या तब बनी रहती है जब ऐसी योजनाएँ "नामांकन/उपस्थिति" तक सीमित रह जाएँ और सीखने के परिणाम, स्कूल-भेदभाव की वास्तविक रोकथाम, और परिवार की आय-स्थिरता के साथ एकीकृत न हों। इस स्थिति में योजनाएँ एक समय तक स्कूल आने की प्रेरणा देती हैं, पर बाल श्रम के संरचनात्मक दबाव (अस्थिर आय, प्रवासन, ऋण) और स्कूल के भीतर सामाजिक अनुभव (बहिष्करण) बने रहने पर बच्चा पुनः काम की ओर लौट सकता है।

9. चर्चा

उपरोक्त विश्लेषण से एक समेकित चित्र उभरता है: बिहार में दलित बाल श्रम की निरंतरता का मूल "विरोधाभास" यह नहीं कि योजनाएँ नहीं हैं, बल्कि यह है कि योजनाएँ जिस सामाजिक संरचना के भीतर लागू होती हैं, वही संरचना योजनाओं के प्रभाव को असमान कर देती है। सामाजिक बहिष्करण स्कूल को दलित बच्चे के लिए कम सुरक्षित बनाता है; संस्थागत सीमाएँ योजनाओं को दलित परिवारों तक पूरी तरह पहुँचने से रोकती हैं; और असंगठित श्रम बाजार कानून के निषेध को व्यावहारिक रूप से कमजोर कर देता है।

यूनिसेफ इनोसेंटी के शोध-संग्रह यह दिखाते हैं कि बाल श्रम और स्कूलिंग के बीच हस्तक्षेपों का सबसे प्रभावी बिंदु "स्कूल को वास्तविक विकल्प" बनाना है, अर्थात् स्कूलिंग को केवल नामांकन नहीं, बल्कि सीखने, संरक्षण, और सामाजिक स्वीकार्यता का मंच बनाना [3], [5]। ILO का व्यापक दृष्टिकोण भी इसी दिशा में जाता है कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए शिक्षा, सामाजिक संरक्षण और श्रम मानक एक साथ काम करते हैं [10]।

इसलिए दलित बाल श्रम उन्मूलन के लिए कल्याण नीति को "अधिकार-आधारित" होने के साथ-साथ "समावेशन-आधारित" और "परिणाम-आधारित" होना होगा। केवल संसाधन बाँटना पर्याप्त नहीं; संसाधन के साथ गरिमा, गैर-भेदभाव, और संस्थागत जवाबदेही की शर्तें जोड़नी होंगी।

10. नीतिगत निहितार्थ

पहला निहितार्थ यह है कि रेस्क्यू को अंत नहीं, शुरुआत मानना होगा। NCLP जैसे पुनर्वास तंत्र में बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने के बाद कम-से-कम 12-24 महीनों की केस-मैनेजमेंट निगरानी, स्कूल-उपस्थिति ट्रेकिंग, और परिवार-आजीविका स्थिरीकरण को अनिवार्य बनाना चाहिए, क्योंकि NCPCR अध्ययन जैसे साक्ष्य पुनर्वास की टिकाऊपन-समस्या की ओर संकेत करते हैं [12]।

दूसरा निहितार्थ यह है कि स्कूल-भेदभाव और बहिष्करण को बाल श्रम नीति का केंद्रीय मुद्दा माना जाए। RTE [2] के साथ स्कूल स्तर पर शिकायत-निवारण, छात्र सुरक्षा, और सामाजिक समावेशन की मापनीय व्यवस्थाएँ (जैसे नियमित सामाजिक अंकेक्षण, समुदाय-आधारित निगरानी) जुड़नी चाहिए। बिहार की पोशाक योजनाएँ स्वयं बताती हैं कि स्कूल में हीन-भावना/भेदभाव उपस्थिति को प्रभावित कर सकता है [14]; इसलिए इन अनुभवों पर सीधे हस्तक्षेप जरूरी है।

तीसरा, आजीविका सुरक्षा और भुगतान-समय: मनरेगा [8] जैसे आय-समर्थन कार्यक्रमों में कार्य-उपलब्धता और समय पर भुगतान का प्रश्न बाल श्रम रोकथाम से सीधे जुड़ता है। यदि परिवार को संकट-समय नकद नहीं मिलता, तो बच्चा काम पर लौट सकता है।

चौथा, डिलीवरी डेटा और विभागीय समन्वय: बाल श्रम-जोखिम क्षेत्रों में शिक्षा, श्रम और बाल संरक्षण डेटा को जोड़कर जोखिम-मैपिंग और एकीकृत कार्रवाई की व्यवस्था चाहिए ताकि "उसी बच्चे" का केस विभागों के बीच खो न जाए।

इन निहितार्थों का सार यह है कि दलित बाल श्रम उन्मूलन के लिए बिहार को "योजना" से आगे बढ़कर "डिलीवरी-गवर्नेंस" और "सामाजिक न्याय-आधारित संस्थागत सुधार" की ओर जाना होगा।

11. निष्कर्ष

यह शोध-पत्र निष्कर्ष देता है कि बिहार में कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद दलित बाल श्रम की निरंतरता एक बहु-स्तरीय सामाजिक-संस्थागत प्रक्रिया है। सामाजिक स्तर पर जाति-आधारित श्रम-विभाजन, स्कूल में गरिमा-अभाव, और संकट-आधारित घरेलू जोखिम प्रबंधन बच्चों को काम की ओर धकेलते हैं। संस्थागत स्तर पर दस्तावेज़-आधारित पहुँच बाधाएँ, विभागीय समन्वय की कमजोरी, असंगठित अर्थव्यवस्था में प्रवर्तन की सीमाएँ, और पुनर्वास के बाद फॉलो-अप की कमी बाल श्रम के चक्र को तोड़ने नहीं देतीं।

अतः समाधान का मार्ग "अधिक योजनाएँ" नहीं, बल्कि योजनाओं के सामाजिक न्याय-उन्मुख क्रियान्वयन, स्कूल को समावेशी और सीखने-क्षम बनाना, परिवार की आय-सुरक्षा को भरोसेमंद बनाना, और बाल संरक्षण-श्रम प्रवर्तन-शिक्षा तंत्र को एकीकृत केस-मैनेजमेंट में जोड़ना है। कानून [1], अधिकार-आधारित शिक्षा [2], पोषण/भोजन [7], और आय-समर्थन [8], ये सभी आवश्यक आधार हैं; पर इनके बीच समन्वय और स्थानीय संस्थागत क्षमता ही तय करेगी कि दलित बच्चा शिक्षा में टिकेगा या श्रम में लौटेगा।

संदर्भ

1. भारत सरकार, "बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986," इंडिया कोड, आधिकारिक अधिनियम पाठ, 1986, पृ. 1-10.
2. भारत सरकार, "निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009," इंडिया कोड, आधिकारिक अधिनियम पाठ, 2009, पृ. 1-16.

3. यूनिसेफ अनुसंधान कार्यालय—इनोसेंटी, "भारत में बाल श्रम और स्कूली शिक्षा," रिपोर्ट, 2024, पृ. 1-117.
4. यूनिसेफ अनुसंधान कार्यालय—इनोसेंटी, "बाल श्रम उन्मूलन हेतु शिक्षा का उपयोग: बांग्लादेश एवं भारत पर केंद्रित रिपोर्ट," रिपोर्ट, 2024, पृ. 1-50.
5. यूनिसेफ अनुसंधान कार्यालय—इनोसेंटी, "भारत में बाल श्रम घटाने में सहायक शैक्षिक रणनीतियाँ: साहित्य समीक्षा," चर्चा-पत्र, 2024, पृ. 1-59.
6. भारत सरकार, "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013," इंडिया कोड, आधिकारिक अधिनियम पाठ, 2013, पृ. 1-22.
7. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, "प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना: दिशानिर्देश," दिशानिर्देश, 2022/2023, पृ. 1-141.
8. भारत सरकार, "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005," इंडिया कोड, आधिकारिक अधिनियम पाठ, 2005, पृ. 1-30.
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, "स्वास्थ्य डोज़ियर 2021: बिहार," रिपोर्ट, 2021, पृ. 1-24.
10. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, "भारत में बाल श्रम," रिपोर्ट/संक्षिप्त विवरण, 2010
11. संयुक्त राज्य श्रम विभाग, अंतरराष्ट्रीय श्रम कार्य ब्यूरो, "बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों पर 2020 के निष्कर्ष: भारत," रिपोर्ट, 2021, पृ. 1-17.
12. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, "राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना की प्रभावशीलता: विद्यालय से बाहर बच्चों को मुख्यधारा में लाने के संदर्भ में अध्ययन," रिपोर्ट, 2023
13. भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, "संशोधित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना दिशानिर्देश (दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी)," दिशानिर्देश, 2016, पृ. 1-62.
14. बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार सरकार, "मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना: मार्गदर्शिका," सरकारी मार्गदर्शिका, पृ. 1-6.
15. बिहार सरकार, "मुख्यमंत्री समेकित बाल विकास छत्र योजना: योजना दस्तावेज़," सरकारी दस्तावेज़, पृ. 1-12.